कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, वैशाली

(शिक्षा भवन, दिग्घीकला, हाजीपुर)

रविन्द्र कुमार, बि0शि0से0
जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली।

मोबाईल नं0–8544412079
हाजीपुर, वैशाली–844102

E-mail Id.-deovaishali.edn@gmail.com,deo-vaishali@bihar.gov.in

पत्रांक–818

सेवा में,

सभी प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक,
जिला–वैशाली।

हाजीपुर, दिनांक–24/04/26

विषयः– विद्यालय अध्यापक, प्रधान शिक्षक,नवनियुक्त प्रधानाध्यापक के प्रमाण पत्रों के सत्यापन एवं फोल्डर उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंगः– कार्यालय पत्रांक–973 दिनांक–15.09.2025 एवं निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बिहार का पत्रांक–3340 दिनांक–21.11.2025 ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्रों के क्रम में अंकित करना है कि पूर्व निर्गत पत्रांक–973 दिनांक–15.09.2025 द्वारा विद्यालय में कार्यरत सभी कोटि के शिक्षकों का शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों को मूल प्रति से मिलान कर दो फोल्डर में संधारित करने का निर्देश दिया गया था। इसमें विशेष रूप से बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त विद्यालय अध्यापकों, प्रधान शिक्षक, नवनियुक्त प्रधानाध्यापक के मामले में मूल प्रमाण पत्र की छाया प्रति के अतिरिक्त बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की वेबसाइट पर किए गए आवेदन, काउंसलिंग दस्तावेज एवं वाटरमार्क युक्त सभी प्रमाण पत्र, एडमिट कार्ड की छाया प्रति को रखने हेतु निर्देशित किया गया था। वर्तमान में निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना द्वारा सभी बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त विद्यालय अध्यापकों, प्रधान शिक्षक, नवनियुक्त प्रधानाध्यापक के शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु आदेश निर्गत किया गया है। इस आदेश के अनुपालन में निम्न निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए–

1.प्रमाण पत्र संधारण– सभी प्रधानाध्यापक विद्यालय में कार्यरत सभी कोटि के शिक्षकों का शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों का मूल प्रति से मिलान कर, छायाप्रति पर प्रतिहस्ताक्षरित करते हुए विद्यालय में अनिवार्य रूप से संधारित रखेंगे। इससे संबंधित प्रतिवेदन जिला कार्यालय के वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। जिसके लिए विकल्प अति शीघ्र दिए जाएंगे।

Digitally signed by
RABINDRA KUMAR SAH
Date: 2026.04.24 17:13:32
+05'30'

2. प्रखंड कार्यालय में जमा करना– तकाल विद्यालय अध्यापक का दस्तावेजों की एक प्रति (फोल्डर) दिनांक 30.04.2026 तक संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में निश्चित रूप से उपलब्ध कराएं।

3. कंप्यूटर विज्ञान शिक्षकों हेतु विशेष निर्देश– प्रथम चरण में कक्षा 11–12 के कंप्यूटर विज्ञान शिक्षकों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया जाना है। इसके लिए विद्यालय लॉगिन में प्रमाण पत्र अपलोड करने का विकल्प दिया गया है।

4. अपलोडिंग प्रक्रिया– सभी कंप्यूटर विज्ञान शिक्षकों के मूल प्रमाण पत्र तथा BPSC वेबसाइट से डाउनलोड किए गए सभी दस्तावेज (एडमिट कार्ड, नियुक्ति पत्र, काउंसलिंग पत्र, वाटरमार्क युक्त शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र आदि) को प्रिंटर से '300DPI' पर स्कैन कर दिनांक 27.04.2026 तक पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें। विद्यालय में फोल्डर आप्राप्त होने की स्थिति में आगामी माह से संबंधित के वेतन भुगतान पर विचार नहीं किया जाएगा।

विश्वासभाजन

Digitally signed by RABINDRA KUMAR SAH
Date: 2026.04.24 17:13:44 +05'30'

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली।

ज्ञापांकः–818 हाजीपुर दिनांकः–24/04/26

प्रतिलिपिः–सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, जिला–वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–क्षेत्रीय उप निदेशक, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपिः–जिला पदाधिकारी, वैशाली की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपिः– निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपिः– निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।

Digitally signed by RABINDRA KUMAR SAH
Date: 2026.04.24 17:13:55 +05'30'

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली।